संख्या- 5/2020 /35/78-2-2020-80आई.टी./2017

प्रेषक,

नेहा प्रकाश,
विशेष सचिव,
उ0 प्र0 शासन।

सेवा में,

उद्योग निदेशक,
कानपुर, उ0प्र0।

आई0टी0 एवं इलेक्ट्रानिक्स अनु0-2 लखनऊः दिनांकः 18 मार्च,2020

विषयः शासकीय कार्यालय में ई-ऑफिस व्यवस्था के क्रियान्वयन हेतु धनराशि रू0 76,65,972/- की वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक उप महाप्रबन्धक, यूपीडेस्को के पत्र संख्या-आईसीपी 9064 (2019-20),दिनांक 27-12-2019 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2019-20 में शासकीय कार्यालय में ई-ऑफिस व्यवस्था के क्रियान्वयन हेतु संलग्न तालिका के कालम-2 में अंकित कार्यो हेतु कालम -3 के अनुसार धनराशि रू0 76,65,972/- (रू0 छिहत्तर लाख पैसठ लाख नौ सौ बहत्तर मात्र) निर्गत करते हुए आपके निवर्तन पर रखे जाने की निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल महोदया सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती है:-

1. उद्योग निदेशक द्वारा वित्त विभाग के आदेश संख्या-बी-1-417/10-2013-16/94, दिनांक 26 फरवरी, 2013 में दी गयी प्रक्रियानुसार सेंट्रल सर्वर के माध्यम से सम्बन्धित कोषागार को बजट आवंटन भेजे जाने की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।
2. उक्त स्वीकृत धनराशि के आहरण हेतु वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5,भाग-1 के प्रपत्र संख्या-6(ए) (संशोधित) द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर प्रबंध निदेशक,यूपीएलसी द्वारा बिल बनाकर उसे संयुक्त निदेशक, उद्योग, लखनऊ मण्डल लखनऊ को प्रतिहस्ताक्षर हेतु प्रस्तुत किया जायेगा।
3. उक्त धनराशि का लेखा-जोखा उद्योग निदेशक, कानपुर द्वारा अपने यहां भी रखा जायेगा।
4. उक्त धनराशि की वित्तीय स्वीकृति इस शर्त के साथ दी जा रही है कि उक्त का भुगतान योजना में पारित एमओयू की शर्तो के अनुसार किया जायेगा।
5. जिस प्रयोजन हेतु धनराशि की मांग की गयी है, उसी मद में आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी।
6. धनराशि का उपयोग इसी वित्तीय वर्ष में कर लिया जायेगा। यदि कोई धनराशि अवशेष रहती है उसे राज कोष में जमा किया जायेगा।
7. प्रबन्ध निदेशक, यूपीएलसी द्वारा वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या- 1/2019/बी-1-170/दस-2019-231/2019 दिनांक 22-3-2019 द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।
8. उक्त स्वीकृत धनराशि के व्यय उपरान्त प्रबन्ध निदेशक, यूपीएलसी द्वारा उपयोगिता प्रमाण-पत्र महालेखाकार,उ0प्र0 इलाहाबाद उद्योग निदेशक,कानपुर तथा आईटी एवं इले0 अनुभाग-2 उ0प्र0 शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।
9. उक्त धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 के आय-व्ययक अनुदान संख्या-7 उद्योग(भारी मध्यम उद्योग) के अन्तर्गत लेखा शीर्ष ''2852-उद्योग-07 दूरसंचार तथा इलेक्ट्रानिक्स उद्योग-202 इलेक्ट्रानिक्स -27 शासकीय कार्यालयों में ई-ऑफिस व्यवस्था-42-अन्य व्यय'' के नामे डाल जायेगा।
10. यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या- 1/2019/बी-1-170/दस-2019-231/2019 दिनांक 22-3-2019 में प्रतिनिधानित अधिकारो के अधीन निर्गत किये जा रहें है।

संलग्नक यथोक्त।

भवदीय,

(नेहा प्रकाश)
विशेष सचिव

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

संख्या– 5/2020/35/78-2-2020 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकर (लेखा परीक्षा), प्रथम एवं द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2. निदेशक, कोषागार, जवाहर भवन लखनऊ।
3. निदेशक, वित्तीय सांख्यकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
4. मुख्य कोषाधिकारी, कलेक्ट्रेट, लखनऊ, उ0प्र0।
5. संयुक्त निदेशक, उद्योग, लखनऊ मण्डल, लखनऊ।
6. प्रबन्ध निदेशक, यू0पी0 इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लि0,लखनऊ।
7. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-6/नियोजन अनु0-4 ।
8. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/ सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम अनु0-3/औद्योगिक विकास अनु0-2 ।
9. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(बराती लाल)
संयुक्त सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

शासनादेश संख्या- 5/2020/35/78-2-2020-80आई.टी./2017 दिनांक 18-3-2020 का संलग्नक

धनराशि रू0 में

क्र0	कार्य का विवरण	अवमुक्त की जा रही धनराशि
1	2	3
1	195 डिजिटल सिग्नेचर्स की धनराशि (195 X रू 1708/)	3,33,060.00
2	शासनादेश दिनांक 27-9-2018 तथा शासनादेश दिनांक 30-3-2020 द्वारा कुल स्वीकृत धनराशि रू0 40,50,000/- पर सेवाकर की धनराशि	7,29,000.00
3	वित्तीय वर्ष 2019-20 में 01 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020 की एक वर्ष की अवधि हेतु परामर्शी कम्पनी के माध्यम से 02 मैनपावर रिर्सोसेज की सेवायें लिये जाने हेतु	63,72,000.00
4	मुख्यालय के स्तर पर एक वर्ष की अवधि हेतु 1 मास्टर ट्रेनर की सेवायें लिए जाने हेतु (19,326 X12)	2,31,912.00
	योग	76,65,972.00

कुल धनराशि (छिहत्तर लाख पैसठ हजार नौ सौ बहत्तर)

(बराती लाल)
संयुक्त सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।